

सेवा में,

प्रबन्धक / मुख्य अध्यापक

गीता पब्लिक स्कूल
मचहर 212

यदि क्रमांक: ऐ-1/2001-652001-1718 दिनांक 26-7-2001
विषय: अस्थाई मान्यता 3001 स्तर तक वर्ष 2001-2002
संदर्भ: आप द्वारा अस्थाई मान्यता हेतु भेजी गई फर्इल के संदर्भ में।

आप की वर्ष 2001-2002 के लिए दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 के लिए कक्षा से तक अस्थाई मान्यता (प्रोविजनल) निम्नलिखित अंकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। यह मान्यता का अवसर है।

1. इस कर्नालय द्वारा दी गई अस्थाई मान्यता के आधार पर आप किसी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और नियमनुसार विद्यार्थियों को भी सुविधाएं अपने खर्च पर प्रदान करेंगे।
2. सभी विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर इत्यादि का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
3. पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपर्युक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरण का पूरा प्रबन्ध करें।
4. अध्यापकों की नियुक्तियां हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार की जाए तथा ट्रेन्ड अध्यापकों को ही लगाया जाए।
5. स्टाफ का वेतन चेक के द्वारा ही दिया जाए।
6. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाए।
7. यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में लाइब्रेरी हो तथा विषयों की प्रर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हों।
8. यदि आपकी मैनेजमेंट कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदित नहीं हो तो उसके कर्नालय/विभाग द्वारा अनुमोदित करवाएं 9. हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की धारा 214, 215 एवं 222 की दृष्टता से पालना की जाए।
10. संस्था में कार्यरत स्टाफ के वेतन का छः माह के बराबर राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज कराई जाए।
11. संस्था में कार्यरत के लिए पी० एफ० की रकम लागू की जाए।
12. खेल के मैदान का उचित प्रबन्ध किया जाए।
13. नियम के अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जाए तथा भवन का नक्शा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाकर भेजा जाए। पठशाला भवन संस्था/सोसाईटी के नाम रजिस्टर्ड/लॉय पर कराया जाए।
14. छत्र मिथियों की शेयर मनी नियमानुसार समय पर जमा कराई जाए।
15. शिक्षा विभाग/सरकार के किसी भी अधिकारी को विद्यालय के रिकार्ड की जांच करने का पूरा अधिकार होगा और यदि किसी समय जमा गया कि प्रबन्धक/मुख्य एजुकेशन कार्ड की धारा 214 का उल्लंघन कर रहे हैं तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त शर्तों को छः मास की अवधि में पूरा कर दिया जाए।

क्रमांक संख्या :

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ;
2. जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़ ;
3. सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विभागी

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी

फरीदाबाद

Shalini
Principal

Geeta Public School
Machhgar (Faridabad)

Om
Manager

उपमण्डल शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद
Geeta Public School
Machhgar (Faridabad)